रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283] नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 2000/ज्येष्ठ 1, 1922
No. 283] NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 2000/JYAISTHA 1, 1922

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2000

सा.का.नि. 471(अ).—केन्द्रीय सरकार वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वस्त्र समिति नियम, 1965 में और संशोधन करने के प्रयोजन से कुछ नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जो कि इनसे संभवतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त धारा की उपधारा के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार प्रकाशित करती है तथा इस आशय की सूचना देती है कि उक्त प्रारूप नियम जिस राजपत्र में इस अधिसूचना को प्रकाशित किया जाता है, जनता को उसकी प्रतिलिपियाँ उपलब्ध होने की तारीख को अथवा उससे 45 दिनों की अवधि के समाप्त होने के बाद ध्यान में रखा जाएगा ।

इस संबंध में आपत्तियाँ अथवा सुझाव, यदि कोई हो, तो उसे सचिव, वस्त्र मंत्रालय को भेजें ।

इस प्रकार से विनिश्चित अवधि से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति से कोई आपत्तियाँ अथवा सुझाव प्राप्त होते हैं तो उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

नियम

1. (1) ये नियम वस्त्र समिति (संशोधन) नियम, 2000 कहलाये जायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने अंतिम रूप से प्रकाशन होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. वस्त्र समिति नियम, 1965 (इसे आगे उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 2 में उप-नियम (ख) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात्

"(ख) "बैंक" से तात्पर्य भारतीय औद्योगिक बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की

धारा 2 के अनुच्छेद (घ) में परिभाषित अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक से है ।"

3. उक्त नियम में नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किए जायेंगे, अर्थात्

"4 नैमित्तिक रिक्तियाँ :-

मृत्यु होने, पदभार त्यागने, अक्षम होने अथवा अयोग्य होने पर समिति की सदस्यता में प्रत्येक नैमित्तिक रिक्त पद को केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा ।"

4. उक्त नियम में नियम 5 में उप-नियम (1) के लिए निम्नलिखित स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"नियम 8 के उपबंधों के अध्यधीन समिति के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल, पदेन सदस्यों से अन्यत्र, धारा 3 की उप-धारा 3 के अंतर्गत सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष का होगा ।"

5. उक्त नियम में नियम 8 में उप-नियम (3) में निम्नलिखित उपबंध शामिल किया जाएगा, अर्थात्

"बशर्ते कि अध्यक्ष के त्यागपत्र के स्वीकृत हो जाने की स्थिति में और किसी अन्य व्यक्ति के अध्यक्ष के रूप में किसी व्यक्ति के नियुक्त न होने पर समिति का उपाध्यक्ष तब तक समिति के अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नए अध्यक्ष को नियुक्त नहीं कर लिया जाता ।"

6. उक्त नियम में नियम 13 के लिए निम्नलिखित स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"13. सदस्यों के भत्ते :

(1) केन्द्रीय सरकार की विगत स्वीकृति के अपवादस्वरूप और इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन किसी भी सदस्य को उनकी सेवाओं के लिए यात्रा और दैनिक भत्तों के अलावा किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा ।

(2) ऐसा गैर-सरकारी सदस्य जो कि उसी स्थान का निवासी है, जहाँ समिति की बैठक होती है, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर पर वाहन भत्ते का हकदार होगा, बशर्ते कि ऐसा भत्ता वाहन के किराये की वास्तविक लागत तक ही सीमित होगा ।

(3) ऐसा गैर-सरकारी सदस्य जो कि उस स्थान का निवासी नहीं है, जहाँ कि बैठक होती है, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर पर उसके द्वारा बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा, बशर्ते कि यात्रा भत्ता वाहन के किराये की वास्तविक लागत तक ही सीमित होगा ।

(4) समिति के सरकारी सदस्य को यात्रा और दैनिक भत्ते की स्वीकृति इस समय लागू केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को यात्रा और दैनिक भत्ते की स्वीकृति संबंधित नियम द्वारा

अधिशासी होगा और ऐसे भत्ते के भुगतान पर होने वाले किसी भी प्रकार के व्यय का वहन सदस्य के कार्यालय द्वारा किया जाएगा ।

7. उक्त नियमों में नियम 22 में -

(1) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2) रसीद पुस्तकों पर अनुक्रमांक मशीन द्वारा डाला जाएगा और अनप्रयुक्त प्रपत्र सचिव अथवा समिति के ऐसे अन्य अधिकारी के पास रखे जायेंगे, जिसे समिति द्वारा अथवा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा उनकी ओर से प्राधिकृत किया जाएगा ।"

(2) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) समिति द्वारा अथवा समिति की ओर से सभी प्रकार के भुगतान, 1000 रु0 से अनधिक राशि के भुगतान को छोड़कर, जो कि ऐसे प्रयोजनों के लिए स्वीकृत पेशगी राशि से नकद किए जा सकते हैं, चेक द्वारा ही किए जायेंगे ।"

(3) उप-नियम (4) में उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित उपबंध स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि ऐसे किसी चेक के मामले में जिसमें देय राशि 50 हजार रु0 से अनधिक नहीं है, ऐसे कोई प्रति हस्ताक्षर करने अपेक्षित नहीं होंगे ।"

(4) उप-नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(6) बैंक से राशि निकालकर तथा सचिव द्वारा भुगतान के लिए 50 हजार रु0 की स्थाई राशि रखी जाएगी, जिसे आवश्यकतानुसार पुनः पूरा किया जाएगा और किसी भी स्थिति मे यह प्रत्येक माह के अंत तक कर दिया जाएगा ताकि समिति के छोटे व्यय को पूरा किया जा सके ।"

8. उक्त नियम में नियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"26. संविदाओं के निष्पादन की प्रक्रिया

अधिनियम के अंतर्गत समिति द्वारा किए जाने वाली कोई भी संविदा समिति की ओर से अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा की जाएगी, बशर्ते कि 50 हजार रु0 से अधिक के व्यय वाली किसी भी प्रकार की संविदा करने के लिए समिति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाए ।"

9. उक्त नियमों में नियम 33 में -

(1) उप-नियम (1) में दूसरे उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"बशर्ते कि समिति केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना प्रत्येक मामले में

25 लाख रु0 से अधिक के व्यय वाली आगे कोई भी संविदा नहीं करेगी अथवा पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं बढ़ाएगी ।"

(2) उप-नियम (2), (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :-

"(2) समिति को किसी विशिष्ट मामले में बीस हजार रु0 तक के घाटे को बट्टे खाते डालने की शक्ति होगी ।

(3) समिति भारत से बाहर प्रत्येक विशिष्ट मद पर व्यय कर सकती है, जिसकी राशि पचास हजार रु0 से अधिक नहीं होगी ।

(4) समिति केन्द्रीय सरकार के परामर्श से किसी भी स्वीकृत पद अथवा पदों को समय-समय पर किए जाने वाले कार्य संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पुनः मनोनीत कर सकती है, बशर्ते कि पदों के ऐसे पुनः मनोनयन के फलस्वरूप स्वीकृत कर्मचारी क्षमता अथवा वेतन और भत्तों में होने वाले व्यय में वृद्धि न हो ।"

[सं. 12020/15/99-ए एण्ड एम एम टी (टी सी)]

एन. रामाकृष्णन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : — मूल नियम अधिसूचना संख्या सा•सा•नि• 321 दिनांक 27•2•1965, भारत के राजपत्र 1965 में प्रकाशित किए गए थे और उसके बाद अधिसूचना सं0 सा•सा•नि• 459 दिनांक 09•5•1981, सा•सा•नि• 514 दिनांक 1•6•1985, भारत के भारत के राजपत्र 1985, सा•सा•नि• 21 दिनांक 27•11•90, भारत के राजपत्र 1990 और सा•सा•नि• (आ) दिनांक 22•1•1996, भारत के राजपत्र द्वारा इनमें संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2000

G.S.R. 471(E).—The following draft of certain rules further to amend the Textiles Committee Rules, 1965, which the Central Government proposes to make in exercise of powers conferred by section 22 of the Textiles Committee Act, 1963, (41 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (1) of that section for the information of all persons likely to be affected and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Textiles, New Delhi;

Any objections or suggestions that may be received from any person with respect to the said draft rules before the period so specified, shall be considered by the Central Government.

RULES

1. (1) These rules may be called Textiles Committee (Amendment) Rules, 2000

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles Committee rules, 1965 (hereinafter referred to as the "said rules"), in rule 2, for sub-rule (b) the following shall be substituted, namely:-

[illegible] means a nationalised bank as defined in clause (da) of section 2 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964)"

3. In the said rules, for rule 4, the following shall be substituted, namely:-

"4. Casual vacancies:-

Every casual vacancy in the membership of the Committee, arising out of death, resignation, incapacity or disqualification, shall be filled by appointment of another person by the Central Government under section 3."

4. In the said rules, in rule 5 for sub-rule (1) the following shall be substituted, namely :-

"(1) Subject to the provisions of rule 8, the term of office of every member of the Committee, other than ex-officio members, shall be for two years from the date of his appointment as a member under sub-section (3) of section 3."

5. In the said rules, in rule 8, in sub-rule(3) the following proviso shall be added, namely :-

" Provided that in the event of acceptance of resignation of the Chairman and no person is appointed as chairman, the Vice-chairman of the committee shall function as the Chairman of the Committee till a new Chairman is appointed by the Central Government".

6. In the said rules, for rule 13, the following shall be substituted, namely;-

"13. Allowances of members:

(1) Save with the previous sanction of Central Government and subject to the provisions of this rule, no remuneration other than travelling and daily allowances shall be paid to any member on account of his services as such:

(2) A non-official member, being a resident at the place where a meeting of the Committee is held, shall be entitled to conveyance allowance at the rate as may be fixed by the Central Government, provided that such allowance shall be restricted to the actual cost of conveyance hired.

(3) A non-official member, not resident at the place where a meeting is held, shall be entitled to travelling and daily allowance in respect of the meeting which he attends, at the rates as may be fixed by the Central Government, provided that travelling allowance shall be restricted to the actual cost of conveyance hired.

(4) The grant of travelling and daily allowance to an official member of the Committee shall be governed by the rule relating to the grant of travelling and daily allowance to officers of the Central Government for the time being in force and any expenditure towards the payment of such allowance shall be borne by the office of the member. "

7. In the said rules, rule 22,-

(i) for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) The receipt books shall be numbered serially by machine and the unused forms shall be kept in the custody of the Secretary or such other officer of the Committee as may be authorised by the Committee or by the Chairman or Vice-Chairman, in this behalf."

(ii) for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) All payments by or on behalf of the Committee shall be made by cheques except for amounts not exceeding Rs.1000/- which may be made in cash from the amount of impress sanctioned for such purposes."

(iii) In sub-rule (4) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :-

"Provided that no such countersignature shall be required in case of any cheques where the amount payable thereunder does not exceed fifty thousand rupees."

(iv) for sub-rule (6), the following shall be substituted, namely :-

"(6) There shall be drawn from the Bank and placed at the disposal of the Secretary, a permanent advance of Rs.50,000/- to be recouped as required, and in any case at the end of each month, to meet petty expenditure of the Committee."

8. In the said rules, for rule 26, the following shall be substituted, namely:-

"26. Procedure for execution of contracts

Every contract to be entered into by the Committee under the Act shall be made on behalf of the Committee by the Chairman or Vice-chairman or the Secretary, provided that the previous sanction of the Committee shall be obtained for any contract involving an expenditure exceeding Rs. 50,000/-."

9. In the said rules, in rule 33,—

(i) In sub-rule (1), for the second proviso, the following shall be substituted, namely:-

" Provided further that the Committee shall not enter into any contract involving an expenditure in excess of twenty five lakhs of rupees, in each case, or extending over a period of five years without the previous approval of the Central Government." ;

(ii) for sub-rules (2), (3) and (4) the following shall be substituted, namely:-

"(2) The Committee shall have power to write off, in any individual case, losses upto twenty thousand rupees.

(3)The Committee may incur expenditure outside India upto an amount not exceeding fifty thousand rupees on each individual item.

(4)The Committee may redesignate after consultation with Central Government any of the sanctioned post or posts to meet its requirements as the work on hand may require from time to time, subject to the condition that such redesignation of posts shall not result in increasing the sanctioned staff strength or incremental expenditure in the pay and allowances."

[No. 12020/15/99-A&MMT(TC)]

N RAMAKRISHNAN, Jt. Secy.

Foot Note.— Principal Rules were published vide Notification No. GSR 321 dated 27.2.1965 Gazette of India 1965 and subsequently amended by Notification No. GSR, 459 dated 9.5.1981, GSR 514 DATED 1.6.1985 Gazette of India, 1985, GSR 21 dated 27.11.90 Gazette of India 1990 GSR (E) dated 22.1.1996 Gazette of India.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.